

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सं०-03/स्था० रा०से० (अंचल आवंटन)-23/2024-

(3)/रा०, पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :- समाहर्ता, पटना के पत्रांक-8032/रा०, दिनांक-18.11.2024 के आलोक में पटना सदर प्रखंड अन्तर्गत दीघा-अशियाना मुख्य पथ के पूरब राजीव नगर का पुराना थाना भवन के पास अस्थायी नवसृजित पाटलिपुत्र अंचल कार्यालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राशि-84,25,400/- (चौरासी लाख पच्चीस हजार चार सौ रुपये) मात्र एवं पटना सदर प्रखंड के अन्तर्गत दीदारगंज अंचल कार्यालय का जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राशि-30,25,900/- (तीस लाख पच्चीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र अर्थात् कुल राशि-84,25,400+30,25,900=1,14,51,300/- (एक करोड़ चौदह लाख इक्यावन हजार तीन सौ रुपये) मात्र की व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. पटना सदर प्रखंड अन्तर्गत दीघा-अशियाना मुख्य पथ के पूरब राजीव नगर का पुराना थाना भवन के पास अस्थायी नवसृजित पाटलिपुत्र अंचल कार्यालय के निर्माण हेतु कुल राशि-84,25,400/- (चौरासी लाख पच्चीस हजार चार सौ रुपये) मात्र एवं पटना सदर प्रखंड के अन्तर्गत दीदारगंज अंचल कार्यालय का जीर्णोद्धार हेतु कुल राशि-30,25,900/- (तीस लाख पच्चीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र अर्थात् कुल राशि-84,25,400+30,25,900 =1,14,51,300/- (एक करोड़ चौदह लाख इक्यावन हजार तीन सौ रुपये) मात्र के व्यय हेतु भुगतान होगा।

3. पटना सदर प्रखंड अन्तर्गत दीघा-अशियाना मुख्य पथ के पूरब राजीव नगर का पुराना थाना भवन के पास अस्थायी नवसृजित पाटलिपुत्र अंचल कार्यालय के निर्माण हेतु कुल-राशि-84,25,400/- (चौरासी लाख पच्चीस हजार चार सौ रुपये) मात्र का भुगतान मुख्य शीर्ष -2029- उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-104- सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध, मांग संख्या-40- उपशीर्ष-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय, विपत्र कोड 40-2029001040001 के लघु कार्य-27-01 मद से एवं पटना सदर प्रखंड के अन्तर्गत दीदारगंज अंचल कार्यालय का जीर्णोद्धार हेतु कुल राशि-30,25,900/- (तीस लाख पच्चीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र का भुगतान मुख्य शीर्ष -2029- उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-104- सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध, मांग संख्या-40- उपशीर्ष-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय, विपत्र कोड 40-2029001040001 के अनुरक्षण एवं मरम्मत-27-02 इकाई अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आवंटन से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाहर्ता, पटना होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार से की जायेगी।

5. राशि की निकासी के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार द्वारा एतत्संबंधी निर्गत परिपत्र/आदेश/निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जायेगा।

6. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

7. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जायेगा।

8. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमती प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अनिल कुमार पाण्डेय),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/स्था० रा०से० (अंचल आवंटन)-23/2024-

(3)/रा०, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / विभागीय प्रशाखा-05 (बजट) को आवंटन निर्गत करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार पाण्डेय),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/स्था० रा०से० (अंचल आवंटन)-23/2024- 15

(3)/रा०, पटना-15, दिनांक-07-01-25

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार पाण्डेय),

सरकार के संयुक्त सचिव।